



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18032026-271045
CG-MH-E-18032026-271045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 182]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 16 मार्च, 2026

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/299.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, -
 - विनियम 17 में, -
 - मौजूदा विनियम अब उप-विनियम (1) बन जाएगा;
 - उसके परंतुक में, शब्दों "विनियम में दी हुई" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "उप-विनियम में बताई गई" आ जाएंगे;

(iii) इस प्रकार बने उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(2) हालाँकि उप-विनियम (1) के प्रावधान तो लागू रहेंगे ही, फिर भी जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियों (निर्धारित शेयरों आदि / स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) को लॉक-इन (रुद्ध) नहीं किया जा सकता, वहाँ डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार), इश्युअर (निर्गमकर्ता) से अनुदेश प्राप्त होने पर, उन शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) के बारे में यह रिकॉर्ड कर लेंगे कि उन्हें उतनी अवधि तक ट्रांसफर (अंतरित) नहीं किया जाएगा जितनी अवधि तक के लिए उन्हें लॉक-इन रखना जरूरी होता है।”

II. विनियम 25 में -

(i) उप-विनियम (2) में, खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(घ)अ नुसूची-VI के भाग-ड के अनुसार प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस।”

(ii) उप-विनियम (7) में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रस्ताव दस्तावेजों की प्रति अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) की प्रति के साथ-साथ संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस लीड मैनेजर [अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)]” आ जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (8) में, शब्दों “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज और प्रस्ताव दस्तावेज” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज), ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज), प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस और संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस” आ जाएंगे।

III. विनियम 26 में,

(i) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज टिप्पणियों (यदि कोई हों)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज),” आ जाएंगे; शब्दों तथा चिह्न “इक्कीस दिनों की अवधि तक,” के बाद शब्द तथा चिह्न “आम जनता की टिप्पणियों के लिए,” जोड़े जाएंगे और शब्दों तथा चिह्नों “निर्गम से जुड़े अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के वेबसाइटों पर डालकर सार्वजनिक किया जाएगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्यू से जुड़े लीड मैनेजर [अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)] की वेबसाइटों पर प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस के साथ डालकर रखा जाएगा” आ जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (4) में, शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऑफर डॉक्यूमेंट्स (प्रस्ताव दस्तावेज) और संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस” आ जाएंगे।

IV. विनियम 34(2) में, शब्दों “निर्गम के संबंध में निर्गमकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वितरित किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन फॉर्म के साथ संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की प्रति लगाई जाएगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्यू (निर्गम) के संबंध में इश्युअर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाँटे जाने वाले प्रत्येक आवेदन फॉर्म में रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस (प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस), संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस और प्राइस बैंड (मूल्य दायरे) से संबंधित विज्ञापन देखने के लिए क्यू.आर.कोड. और लिंक भी देना होगा” आ जाएंगे।

V. विनियम 59ग में,

(i) उप-विनियम (9) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(9क) प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस (जिसका जिक्र अनुसूची-VI के भाग-ड में किया गया है) ‘अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस - I’ (अपडेटेड ड्राफ्ट रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस - I) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, और उसे इश्युअर (निर्गमकर्ता), बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों [जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियाँ (शेयर आदि / सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो] और इश्यू (निर्गम) से जुड़े लीड मैनेजर [अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)] की वेबसाइटों पर डलवाया जाएगा।”

(ii) उप-विनियम (14) में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के बाद, प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) दाखिल करने के बाद, ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ-साथ संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की प्रति लीड मैनेजर [अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)]” आ जाएंगे।

- (iii) उप-विनियम (15) में, चिह्नों तथा शब्दों “ ‘पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज’ और ‘प्रस्ताव दस्तावेज’ ” के स्थान पर चिह्न तथा शब्द “ ‘पहले दाखिल किए गए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट’ (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज), ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज), प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस और संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस” आ जाएंगे।

VI. विनियम 123 में,

- (i) उप-विनियम (2) में, खंड (घ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(ङ) अनुसूची-VI के भाग-ङ के अनुसार प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस।”
- (ii) उप-विनियम (7) में, शब्दों और चिह्नों “प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल (फाइल) किए जाने के समय, प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऑफर डॉक्यूमेंट्स (प्रस्ताव दस्तावेज) दाखिल करते समय, ऑफर डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की प्रति लीड मैनेजर [अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)]” आ जाएंगे;
- (iii) उप-विनियम (8) में शब्दों “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज और प्रस्ताव दस्तावेज” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज), ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज), प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस और संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस” आ जाएंगे।

VII. विनियम 124 में,

- (i) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज टिप्पणियों (यदि कोई हों)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज),” आ जाएंगे; शब्दों तथा चिह्न “इक्कीस दिनों की अवधि तक,” के बाद शब्द तथा चिह्न “आम जनता की टिप्पणियों के लिए,” जोड़े जाएंगे और शब्दों तथा चिह्नों “निर्गम से जुड़े अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के वेबसाइटों पर डालकर सार्वजनिक किया जाएगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्यू से जुड़े लीड मैनेजर [अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)] की वेबसाइटों पर प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस के साथ डालकर रखा जाएगा” आ जाएंगे;
- (ii) उप-विनियम (4) में, शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऑफर डॉक्यूमेंट्स (प्रस्ताव दस्तावेज) और संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस” आ जाएंगे।

VIII. विनियम 131(2) में, शब्दों “निर्गम के संबंध में निर्गमकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वितरित किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन फॉर्म के साथ संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की प्रति लगाई जाएगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्यू (निर्गम) के संबंध में इश्युअर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाँटे जाने वाले प्रत्येक आवेदन फॉर्म में रेड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस (प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस), संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस और प्राइस बैंड (मूल्य दायरे) से संबंधित विज्ञापन देखने के लिए क्यू.आर.कोड. और लिंक भी देना होगा” आ जाएंगे।

IX. विनियम 246 में,

- (i) उप-विनियम (3) में, शब्दों, चिह्नों, अंक तथा अक्षर “अनुसूची-V के प्रारूप-छ में किया गया है” के बाद तथा शब्दों “और साथ ही प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज” से पहले, चिह्न तथा शब्द “और प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस (जिसका जिक्र अनुसूची-VI के भाग-ङ में किया गया है) भी प्रस्तुत किया जाएगा” जोड़े जाएंगे।
- (ii) उप-विनियम (5) में शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज बोर्ड के पास सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किया जाएगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) और प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की सॉफ्ट कॉपी भी बोर्ड को दी जाएगी” आ जाएंगे।

X. विनियम 247 में,

- (i) उप-विनियम (1) में, शब्दों “डालकर रखा जाएगा” से पहले शब्द तथा चिह्न “प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस के साथ” जोड़े जाएंगे;
- (ii) उप-विनियम (4) में, शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) और प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस” आ जाएंगे।

- XI. विनियम 255(2) में, शब्दों “निर्गम के संबंध में निर्गमकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वितरित किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन फॉर्म के साथ संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की प्रति लगाई जाएगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्यू (निर्गम) के संबंध में इश्युअर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाँटे जाने वाले प्रत्येक आवेदन फॉर्म में रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस (प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस), संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस और प्राइस बैंड (मूल्य दायरे) से संबंधित विज्ञापन देखने के लिए क्यू.आर.कोड. और लिंक भी देना होगा” आ जाएंगे।
- XII. अनुसूची-VI में, -
- (i) भाग-क में, -
- (क) खंड (4) हट जाएगा;
- (ख) खंड (6) में, उप-खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-
- “(ग) आकस्मिक देनदारियों (कंटीजेंट लाइबिलिटीज़) के संक्षिप्त ब्यौरे।
- (घ) संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहार / रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) के संक्षिप्त ब्यौरे।”
- (ii) भाग-ड में,
- (क) शीर्षक में, शब्दों “संक्षिप्त प्रास्पेक्टस में प्रकटीकरण” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रास्पेक्टस और संक्षिप्त प्रास्पेक्टस में दी जाने वाली जानकारी (किए जाने वाले प्रकटीकरण)” आ जाएंगे।
- (ख) सामान्य अनुदेश वाले खंड में,
- क. मद सं. (III) हट जाएगी;
- ख. मौजूदा मद सं. (IV) अब मद सं. (III) बन जाएगी;
- ग. मद सं. (V) हट जाएगी;
- घ. इस प्रकार बनी मद सं. (III) के बाद निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी, अर्थात्,-
- “(IV) ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) / ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) के सामने वाले कवर पेज का बाहरी हिस्सा ही प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस और संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस का पहला पेज होगा।
- (V) संलग्नक – I में हर जगह जानकारी देने के साथ-साथ वहाँ यह भी बताया जाएगा कि वह जानकारी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) / ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) में कहाँ दी गई है।
- (VI) ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) / ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) देखने के लिए क्यू.आर.कोड. और लिंक भी देना होगा। इसके अलावा, आई.पी.ओ. के संबंध में आम जनता हेतु जारी की जाने वाली सभी सार्वजनिक घोषणाओं में भी प्रारूप (ड्राफ्ट) संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस / संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस देखने के लिए क्यू.आर.कोड और लिंक देना होगा।
- (VII) समस्त जानकारी (डिस्क्लोज़र) साफ-साफ और सरल शब्दों में दी जाएगी, ताकि उसे आसानी से समझा जा सके।”
- (ग) संलग्नक – I के स्थान पर निम्नलिखित संलग्नक आ जाएगा, अर्थात्,-

“संलग्नक – I

1	मुख्य कारोबार की संक्षिप्त जानकारी इश्युअर (निर्गमकर्ता) के मुख्य कारोबार की संक्षिप्त जानकारी अधिक से अधिक 500 शब्दों में दी जाए, और इस प्रकार दी जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित जानकारी भी दी जाए:
---	---

	1) कारोबार की जानकारी, यह भी बताएँ कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है या किस प्रकार की सेवाएँ देती है; 2) कंपनी के कारोबार का वास्ता किस-किस उद्योगजगत से है और कंपनी के ग्राहक किस-किस तरह के हैं; 3) हर सेगमेंट की जानकारी और संबंधित अवधि में हर सेगमेंट से कितनी-कितनी आमदनी हुई, इसके व्यौरे सारणी में दिए जाएं (जहाँ भी जरूरी लगे); 4) कंपनी का ज्यादातर कारोबार कहाँ-कहाँ है; 5) सबसे बड़े 5 ग्राहकों से कितनी-कितनी आमदनी होती है; 6) कंपनी जो प्रोडक्ट आदि बनाती है, वह मुख्य तौर पर कहाँ-कहाँ बनते हैं और ऐसी सुविधाएँ कहाँ-कहाँ हैं; 7) कारोबार में पकड़ कितनी मजबूत है और कारोबार के लिए आपकी आगे की रणनीति क्या है			
2	कंपनी जिस उद्योगजगत से जुड़ी है, उसकी संक्षिप्त जानकारी इश्युअर (निर्गमकर्ता) की कंपनी जिस उद्योगजगत से जुड़ी है, उसकी संक्षिप्त जानकारी ज्यादा से ज्यादा 250 शब्दों में दें;			
3	प्रमोटर (संप्रवर्तक) प्रत्येक प्रमोटर (संप्रवर्तक) की संक्षिप्त जानकारी, जैसे कि उसका नाम, वह किस तरह की एंटीटी है और उसकी कंपनी के व्यौरे (कारपोरेट इन्फॉर्मेशन) [जहाँ भी लागू हो], उसे कितना अनुभव है और उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ क्या हैं (जहाँ कहीं भी लागू हो) [प्रत्येक के संबंध में ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों में जानकारी दी जाए];			
4	इश्यू (निर्गम) लाने के उद्देश्य प्रत्येक उद्देश्य की संक्षिप्त जानकारी दी जाए (प्रत्येक उद्देश्य के संबंध में एक सारणी बनाकर ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों में जानकारी दें);			
5	प्रमोटर (प्रमोटरों) [संप्रवर्तकों] के, प्रमोटर ग्रुप (संप्रवर्तक समूह) के सदस्यों के और सबसे बड़े 10 शेयरधारकों के पास ऑफर (प्रस्ताव) लाए जाने से पहले कितने शेयर हैं और ऑफर लाए जाने के बाद कितने शेयर हो जाएंगे, उसकी जानकारी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) / ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) की तारीख तक की स्थिति के अनुसार और आबंटन (अलॉटमेंट) की तारीख तक की स्थिति के अनुसार इनमें से प्रत्येक के कुल शेयर :- (i) प्रमोटर (प्रमोटरों) के, (ii) प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों के, और (iii) सबसे बड़े 10 शेयरधारकों (प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को छोड़कर) के । यह जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी जाए:			
	<table><tr><td>क्र. सं.</td><td>ऑफर (प्रस्ताव) लाए जाने से पहले कितने शेयर हैं</td><td>ऑफर (प्रस्ताव) लाए जाने के बाद आबंटन की तारीख तक की स्थिति के अनुसार कितने शेयर हो जाएंगे</td></tr></table>	क्र. सं.	ऑफर (प्रस्ताव) लाए जाने से पहले कितने शेयर हैं	ऑफर (प्रस्ताव) लाए जाने के बाद आबंटन की तारीख तक की स्थिति के अनुसार कितने शेयर हो जाएंगे
क्र. सं.	ऑफर (प्रस्ताव) लाए जाने से पहले कितने शेयर हैं	ऑफर (प्रस्ताव) लाए जाने के बाद आबंटन की तारीख तक की स्थिति के अनुसार कितने शेयर हो जाएंगे		

	शेयरधारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	कितने प्रतिशत शेयर हैं	निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) पर और उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) पर	
				इक्विटी शेयरों की संख्या	कितने प्रतिशत शेयर हो जाएंगे
प्रमोटर (प्रमोटरों) [संप्रवर्तकों] के पास					
1.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
प्रमोटर ग्रुप (संप्रवर्तक समूह) के सदस्यों [जिनके पास शेयर हों] के पास					
1.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
2.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों (सबसे बड़े 10 शेयरधारकों) के पास					
1.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
2.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
3.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
4.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
5.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
6.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
7.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
8.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
9.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
10.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले दूसरे शेयरधारकों के पास					
11.	-	[●]	[●]	[●]	[●]
कुल मिलाकर		[●]	100.00%	[●]	[●]
टिप्पणियाँ:					
1) इनमें वे सभी ऑप्शन (विकल्प) शामिल हैं जिनका प्रयोग प्रॉस्पेक्टस की तारीख तक कर लिया गया है, और साथ ही इनमें मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ट्रांसफर किए गए वे इक्विटी शेयर भी शामिल हैं जो इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए गए विज्ञापन तथा मूल्य-दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन की तारीख के बाद से प्रॉस्पेक्टस जारी होने की तारीख तक ट्रांसफर किए गए।					
2) ₹[●] के इश्यू प्राइस के आधार पर, जिनमें आबंटन (अलॉटमेंट) के आधार (बेसिस) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बदलाव हो सकते हैं।					
6	रीस्टेटेड समेकित वित्तीय जानकारी (कन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन) का संक्षिप्त विवरण पिछले 3 वर्षों और स्टब अवधि के रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार एक सारणी में निम्नलिखित जानकारी दी जाए: 1) शेयर कैपिटल (शेयर पूंजी)				

	2) नेटवर्थ (शुद्ध मालियत) 3) आय (रिवेन्यू) 4) एबिटा (ई.बी.आई.टी.डी.ए.) 5) कर की रकम काटे जाने के बाद हुआ मुनाफा 6) आमदनी प्रति शेयर (बेसिक) 7) आमदनी प्रति शेयर (डाइल्यूटेड) 8) इक्विटी / नेटवर्थ (शुद्ध मालियत) पर मुनाफा (रिटर्न) 9) एन.ए.वी. (नेट असेट वैल्यू) - प्रति इक्विटी शेयर 10) लिए गए कुल उधार 11) कामकाज (ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़) से आने वाला पैसा (कैश फ्लो) 12) निवेश से आने वाला पैसा (कैश फ्लो) 13) फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आने वाला पैसा (कैश फ्लो)		
7	कारोबार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसके सूचकों (इंडिकेटर्स / के.पी.आई.) की संक्षिप्त जानकारी उन के.पी.आई. की संक्षिप्त जानकारी सारणी में दें, जिनके हिसाब से पिछले 3 वर्षों और स्टब अवधि के दौरान ऑफर प्राइस (प्रस्ताव कीमत) का आधार (बेसिस) तय किया गया (यहाँ केवल वही जानकारी दें, जो ऊपर वित्तीय जानकारी के संबंध में दी जा चुकी संक्षिप्त जानकारी में शामिल न की गई हो)		
8	क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं (रिस्क फैक्टर) आंतरिक स्तर पर जो सबसे बड़े 10 जोखिम (रिस्क फैक्टर) हो सकते हैं, यहाँ केवल उनकी संक्षिप्त जानकारी दें		
9	प्रोमोटर (संप्रवर्तक) और बिक्री (विक्रय) करने वाले शेयरधारकों के संबंध में यह बताएँ कि शेयरों का अर्जन (एक्विज़िशन) औसतन किस लागत पर किया गया (उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या रही)		
	विवरण	अब तक तक कितने इक्विटी शेयर हैं*	एक शेयर का अर्जन (एक्विज़िशन) औसतन किस लागत पर किया गया (उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या रही) [डबल्यू.ए.सी.ए.] [र में]* पिछले एक वर्ष में जो शेयर अर्जित किए गए उनमें से प्रत्येक शेयर का अर्जन (एक्विज़िशन) औसतन किस लागत पर किया गया (उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या रही)*
	प्रोमोटर (संप्रवर्तक)		
	प्रोमोटर - 1	[●]	[●]
	प्रोमोटर - 2	[●]	[●]

	बिक्री (विक्रय) करने वाले शेयरधारक		
	बिक्री करने वाला शेयरधारक - 1	[●]	[●]
	बिक्री करने वाला शेयरधारक - 2	[●]	[●]
*सी.सी.पी.एस. के कन्वर्जन (संपरिवर्तन) को ध्यान में रखकर आंकड़े निकाले जाएँ। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) / ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) की तारीख से पहले के एक वर्ष में और तीन वर्षों में अर्जित किए गए सभी शेयरों का अर्जन (एकत्रिज्जित) औसतन किस लागत पर किया गया (उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या रही)।			
10	निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) और प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की-मैनेजेरियल पर्सोनेल) से संबंधित जानकारी निदेशक मंडल में शामिल सदस्यों और प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की-मैनेजेरियल पर्सोनेल) की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम।		
11	ऑडिटर (लेखापरीक्षक) की टिप्पणियाँ उस पृष्ठ संख्या का उल्लेख करें, जहाँ ऑडिटर की टिप्पणियों का जिक्र है।		
12	चल रहे मुकदमों की संक्षिप्त जानकारी सारणी में दें।		

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./758/2025-26]

टिप्पणी: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31, द्वारा 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 1 नवम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/271, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/299.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -
 - I. in Regulation 17, -
 - (i) the existing regulation shall be numbered as sub-regulation (1);
 - (ii) in the proviso thereto, the words “regulation” shall be substituted with the words and symbol “sub-regulation”;
 - (iii) after the regulation so numbered as sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(2) Subject to sub-regulation (1), where lock-in of the specified securities cannot be created, the depositories shall, upon receipt of instructions from the issuer, record such securities as “non-transferable” for the duration of the applicable lock-in period.”
 - II. in Regulation 25 -
 - (i) in sub-regulation (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely,-

“(d) a draft abridged prospectus as per Part E of Schedule VI.”;
 - (ii) in sub-regulation (7), after the words “Copy of the offer documents”, and before the words “shall also be filed with the Board”, the words “along with the abridged prospectus” shall be inserted;
 - (iii) in sub-regulation (8), the words “and the offer document” appearing after the words “draft offer document” and before the words “shall also be furnished”, shall be substituted with the words and symbols “, the offer document, the draft abridged prospectus, and the abridged prospectus”.
 - III. in Regulation 26,
 - (i) in sub-regulation (1), after the words “sub-regulation (2) by hosting it” and before the words “on the websites”, the words “along with the draft abridged prospectus” shall be inserted;
 - (ii) in sub-regulation (4), after the words “the offer documents” and before the words “are hosted on the websites”, the words “and the abridged prospectus” shall be inserted.
 - IV. in Regulation 34(2), the words “be accompanied by a copy of the abridged prospectus” shall be substituted with the words “include a QR code and link to access the red herring prospectus, the abridged prospectus, and the price band advertisement”.
 - V. in Regulation 59C,
 - (i) after sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(9A) Draft abridged prospectus as specified in Part E of Schedule VI, shall be submitted along with the updated draft red herring prospectus-I, and shall be hosted on the websites of the issuer, the Board, stock exchanges where specified securities are proposed to be listed and lead manager(s) associated with the issue.”;

- (ii) in sub-regulation (14), after the words “copy of the offer document” and before the words “shall also be filed promptly”, the words “along with the abridged prospectus” shall be inserted;
 - (iii) in sub-regulation (15), the words “and the offer document” appearing after the words “draft offer document” and before the words “shall also be furnished”, shall be substituted with the words and symbols “, the offer document, the draft abridged prospectus, and the abridged prospectus”.
- VI. in Regulation 123,
 - (i) in sub-regulation (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely,-
 - “(e) a draft abridged prospectus as per Part E of Schedule VI.”;
 - (ii) in sub-regulation (7), after the words “Copy of the offer documents”, and before the words “shall also be filed with the Board”, the words “along with the abridged prospectus” shall be inserted;
 - (iii) in sub-regulation (8), the words “and the offer document” appearing after the words “draft offer document” and before the words “shall also be furnished”, shall be substituted with the words and symbols “, the offer document, the draft abridged prospectus, and the abridged prospectus”.
- VII. in Regulation 124,
 - (i) in sub-regulation (1), after the words “sub-regulation (2) by hosting it” and before the words “on the websites”, the words “along with the draft abridged prospectus” shall be inserted;
 - (ii) in sub-regulation (4), after the words “the offer documents” and before the words “are hosted on the websites”, the words “and the abridged prospectus” shall be inserted.
- VIII. in Regulation 131(2), the words “be accompanied by a copy of the abridged prospectus” shall be substituted with the words “include a QR code and link to access the red herring prospectus, the abridged prospectus, and the price band advertisement”.
- IX. in Regulation 246,
 - (i) in sub-regulation (3), after the words “in Form G of Schedule V” and before the words “along with the draft”, the words and symbol “, and the draft abridged prospectus as per Part E of Schedule VI” shall be inserted;
 - (ii) in sub-regulation (5), after the words “The offer documents” and before the words “shall also be furnished”, the words and symbols “and the abridged prospectus,” shall be inserted.
- X. in Regulation 247,
 - (i) in sub-regulation (1), after the words “by hosting it” and before the words “on the websites”, the words “along with the draft abridged prospectus” shall be inserted;
 - (ii) in sub-regulation (4), after the words “the offer documents” and before the words “are hosted on the websites”, the words “and the abridged prospectus” shall be inserted.
- XI. in Regulation 255(2), the words “be accompanied by a copy of the abridged prospectus” shall be substituted with the words “include a QR code and link to access the red herring prospectus, the abridged prospectus, and the price band advertisement”.
- XII. in Schedule VI, -
 - (i) in Part A, -
 - (a) clause (4) shall be omitted;
 - (b) in clause (6), after sub-clause (B), the following sub-clauses shall be inserted, namely,-
 - “(C) Summary of Contingent Liabilities.
 - (D) Summary of Related Party Transactions.”;
 - (ii) in Part E,

- (a) in the heading, after the words “Disclosures in” and before the words “an Abridged Prospectus”, the words “a draft Abridged Prospectus and”, shall be inserted;
- (b) in the General Instructions,
- (1) item (III) shall be omitted;
 - (2) existing item (IV) shall be renumbered as item (III);
 - (3) item (V) shall be omitted;
 - (4) after item (III) so renumbered, following items shall be inserted, namely,

“(IV) The front outside cover page of the draft offer document / offer document shall serve as the first page of the draft abridged prospectus and the abridged prospectus.

(V) For each of the sections of the Annexure - I, cross reference to the relevant section of the draft offer document / offer document to be provided.

(VI) QR code and link shall be included for access to the draft offer document / offer document. Further a QR Code and link to access the draft abridged prospectus / abridged prospectus to be included in all public announcement relating to the IPO.

(VII) All disclosures shall be in clear, simple and easily understandable language.”

- (c) Annexure - I shall be substituted with the following, namely,

“

ANNEXURE - I

1	Summary of the Primary business <i>Summary of the primary business of the issuer, in not more than 500 words; The summary shall include the following matters as relevant:</i> 1) <i>The business overview including products / services offered by the Company;</i> 2) <i>Description of industries served and typical customer/ clients of the Company;</i> 3) <i>Segment reporting details and their revenue contribution for the reporting periods in a tabular form (where applicable);</i> 4) <i>Key geographies served;</i> 5) <i>Revenue concentration among top 5 customers;</i> 6) <i>Key manufacturing or other facilities,</i> 7) <i>Business strengths and strategies</i>
2	Summary of the industry <i>Summary of the industry in which the issuer operates, in not more than 250 words;</i>
3	Promoters <i>Brief details such as name, nature of entity and corporate information (where applicable), experience and educational qualifications for each promoter (where applicable), in not more than 100 words each;</i>
4	Objects of the issue <i>Summary for each object, in not more than 100 words per object in a tabular format.;</i>
5	Pre and post offer shareholding of promoter(s), members of the promoter group and top 10 shareholders

	The aggregate shareholding, of each of the (i) Promoter(s), (ii) members of the Promoter Group and (iii) top 10 Shareholders (other than the Promoter and Promoter Group) as on the date of draft offer document / offer document and as at allotment as per the below mentioned format:					
S. No.	Pre-Offer shareholding			Post-Offer shareholding as at the date of Allotment		
	Name of the shareholder	Number of Equity Shares	Shareholding (in %)	At Floor Price and At Cap Price		
				Number of Equity Shares	Shareholding (in %)	
Promoter(s)						
2.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
Members of Promoter Group (who hold shares)						
3.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
4.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
Public Shareholders (top 10 Shareholders)						
12.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
13.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
14.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
15.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
16.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
17.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
18.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
19.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
20.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
21.	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	
Other Public Shareholders						
22.	-	[●]	[●]	[●]	[●]	
Total (aggregate)		[●]	100.00%	[●]	[●]	
	Notes: 1) Includes all options that have been exercised until date of prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-issue and price band advertisements until date of prospectus. 2) Based on the Issue price of ₹[●] and subject to finalization of the basis of allotment.					
6	Summary of Restated Consolidated Financial Information Following details as per the restated consolidated financial statements for past 3 years and stub period in tabular format: 1) Share capital 2) Net Worth 3) Revenue 4) EBITDA 5) Profit after tax 6) Basic Earnings per share 7) Diluted Earnings per share 8) Return on Equity / Net Worth					

	9) Net Asset Value per equity share 10) Total borrowings 11) Cash flow from operating activities 12) Cash flow from investing activities 13) Cash flow from financing activities																												
7	Summary of Key Performance Indicators Summary of Key Performance Indicators (“KPIs”) used to determine Basis for Offer Price for past 3 years and stub period, in tabular format (to the extent not included in the summary of financial information in section above)																												
8	Risk Factors The top 10 internal Risk Factors in the summarized form.																												
9	The details of weighted average cost of acquisition of shares for promoter and selling shareholders <table><tr><th>Particulars</th><th>Number of Equity Shares held as on date*</th><th>Weighted average cost of acquisition (“WACA”) per Equity Share (in ₹)*</th><th>WACA per Equity Shares acquired in last one year*</th></tr><tr><td colspan="3">Promoter(s)</td><td></td></tr><tr><td>Promoter 1</td><td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr><tr><td>Promoter 2</td><td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr><tr><td colspan="3">Selling Shareholder(s)</td><td></td></tr><tr><td>Selling Shareholder 1</td><td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr><tr><td>Selling Shareholder 2</td><td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr></table> *Calculated after taking into account conversion of CCPS. Weighted average cost of acquisition of all shares transacted in the one year and three years preceding the date of draft offer document / offer document.	Particulars	Number of Equity Shares held as on date*	Weighted average cost of acquisition (“WACA”) per Equity Share (in ₹)*	WACA per Equity Shares acquired in last one year*	Promoter(s)				Promoter 1	[●]	[●]	[●]	Promoter 2	[●]	[●]	[●]	Selling Shareholder(s)				Selling Shareholder 1	[●]	[●]	[●]	Selling Shareholder 2	[●]	[●]	[●]
Particulars	Number of Equity Shares held as on date*	Weighted average cost of acquisition (“WACA”) per Equity Share (in ₹)*	WACA per Equity Shares acquired in last one year*																										
Promoter(s)																													
Promoter 1	[●]	[●]	[●]																										
Promoter 2	[●]	[●]	[●]																										
Selling Shareholder(s)																													
Selling Shareholder 1	[●]	[●]	[●]																										
Selling Shareholder 2	[●]	[●]	[●]																										
10	Board of Directors and Key Managerial Personnel Names and designations of the members of the Board of Directors and Key Managerial Personnel.																												
11	Auditor qualifications Provide a cross reference to the Auditor qualifications.																												
12	Summary table of outstanding litigations.																												

”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./758/2025-26]

Note: The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31, and was last amended on November 1, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/271.